



उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर // विज्ञप्ति //

क्रमांक : 45 / परीक्षा / 2019

जबलपुर, दिनांक— 25 / 01 / 2019

उच्च न्यायालय में असिस्टेंट लायब्रेरियन के नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति वर्ष—2019

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ की तिथि :	01 / 02 / 2019 (शुक्रवार)
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की तिथि:	18 / 02 / 2019 (सोमवार)
	से 25 / 02 / 2019 (सोमवार) तक
आवेदन करने की अंतिम तिथि :	25 / 02 / 2019 (सोमवार)
मुख्य परीक्षा दिनांक :	29 / 03 / 2019 (शुक्रवार)
साक्षात्कार का दिनांक:	बाद में अधिसूचित किया जावेगा।

उपरोक्त (नियमित) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों के परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड “अ”

- कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र, विज्ञापन दिनांक से दिनांक 25 / 02 / 2019 को रात्रि 11.59 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं।
- आवेदन पत्र में की गई त्रुटियों को दिनांक 18 / 02 / 2019 (सोमवार) से 25 / 02 / 2019 को रात्रि 11.59 बजे तक सुधारा जा सकता है। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार कार्य के लिए एमपीऑनलाईन को ₹ 50 /— (पचास) प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

परीक्षा—शुल्क और पोर्टल शुल्क—

- अनारक्षित वर्ग तथा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए रूपये 600 /— एमपीऑनलाईन को देय पोर्टल शुल्क एवं रूपये 200 /— परीक्षा शुल्क अर्थात् ₹ 600+200 = ₹ 800 /—(आठ सौ) तथा मध्यप्रदेश राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग/ दिव्यांग आवेदकों के लिए एमपीऑनलाईन को देय केवल पोर्टल शुल्क ₹ 600 /— (छौँ सौ) देय होगा।

- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कार्य किया जाता है तो सुधार कार्य के लिए एमपीऑनलाईन को ₹ 50 /— (पचास) प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

नोट: यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो निम्न दूरभाष नंबर एवं पते पर तत्काल संपर्क करें:—कस्टमर केयर नंबर—0755—6720200

एम.पी.ऑनलाईन कार्यालय दूरभाष नंबर—0755—6720222

पता— तीसरी मंजिल, स्टेट आई.टी. पार्क, अब्बास नगर, नियर आर.जी.पी.व्ही. गांधी नगर, भोपाल— 462033

समस्या का समाधान न होने पर एम.पी.ऑनलाईन वेबसाईट (www.mponline.gov.in) के होम पेज पर जाकर ऑप्शन “सम्पर्क करें” पर क्लिक कर ऑप्शन “शिकायत” का चयन कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

खण्ड “ब”

विज्ञापित पदों का विवरण

पदनाम	रिक्त पद
असिस्टेंट लायब्रेरियन	04

एक:- पदनाम, वेतनमान तथा अर्हतायेः—

पदनाम एवं वेतनमान	रिक्त पद	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
असिस्टेंट लायब्रेरियन 5200—20200 + ग्रेड पे 2800 (7 वें वेतनमान में लेवल 7 पे मेट्रीक्स 28700—91300)	04	<ul style="list-style-type: none"> 1. मान्यता प्राप्त संस्था से लायब्रेरी साइंस में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। 2. विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण को प्राथमिकता। 3. कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान।
कुल पद	04	

टीप :-

- (1) उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हतायें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

दोः —

- (1) म.प्र. राज्य के बाहर के अजा/अजजा/अपिव के आवेदक, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी ‘अनारक्षित’ भरें। अजा/अजजा के लिए आरक्षित पद केवल म.प्र. के मूल निवासी अजा/अजजा के लिए आरक्षित है।
- (2) केवल म.प्र. के मूल निवासी जो अजा/अजजा के हैं, वे आवेदन पत्र में तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित करें।

तीनः —

- (अ) चयनित आवेदकों की नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
- (ब) किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम सूचनापत्र देने पर सेवाएँ समाप्त की जा सकती है।
- (स) चयनित आवेदक को अधिकृत मेडीकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

चारः —

नियमित पदों की अनुमानित संख्या :-

क्र०	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से अस्थिबाधित दिव्यांगों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियां
		अनारक्षित	अ0पि0व0	अनुजाति	उन्नु जनजाति	अनारक्षित	अ0पि0व0	अनुजाति	अनुजाति	अस्थिबाधित सेनिक	
1	असिस्टेंट लायब्रेरियन	02	—	01	01	—	—	—	—	—	04

पांच:-

- (1) मुख्य परीक्षा केन्द्र केवल जबलपुर या विभिन्न जिलों के शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान हो सकेंगे। परीक्षा केन्द्र व जिले तथा परीक्षा सत्र (Shift) के बारे में अंतिम निर्णय ऐमपीऑनलाईन का परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए होगा। इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
- (2) केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से प्रारूप में आवेदन एवं दस्तावेज मंगाये जावेंगे जो ऑनलाईन मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के पश्चात् मेरिट में स्थान प्राप्त करेंगे इस हेतु 1:3 के अनुपात में केटेगरी वाईस अभ्यर्थियों से एक तिथि निर्धारित करते हुए आवेदन पत्र व दस्तावेज मंगाये जावेंगे एवं इन आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा तथा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें अपात्र किया जा सकेगा भले ही वे अभ्यर्थी मेरिट के अनुसार चयनित किये जाने योग्य क्यों न हो।

छः :-

(1) आयु की गणना :-

दिनांक 01.01.2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी :-

1	पुरुष आवेदक (सामान्य वर्ग)	35 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु०जाति / अनु० जनजाति / अ०पि०वर्ग०)	40 वर्ष
3	महिला आवेदक (सामान्य वर्ग)	35+10 = 45 वर्ष
4	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु०जाति / अनु० जनजाति / अ०पि०वर्ग०)	35+5+10 = 50 वर्ष
5	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (सामान्य वर्ग)	35+10+5 = 50 वर्ष
6	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु०जाति / अनु०जनजाति / अ०पि०वर्ग०)	35+5+10+5 = 55 वर्ष

नोट:- 1. शासकीय सेवारत कर्मचारियों को 38 वर्ष तथा दिव्यांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार उच्च न्यायालय द्वारा अंगीकृत किये गये परिपत्रों के आलोक में आयु-सीमा में छूट दी जायेगी।

टीप :-—यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी योग्यता, जन्मतिथि, अर्हता अथवा आरक्षण से संबंधित या अन्य कोई जानकारी जो परीक्षा या चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय ऑनलाईन आवेदन या आवेदन पत्र या दस्तावेज में चाही गयी है, से संबंधित गलत जानकारी दिया है तो किसी भी समय उसे संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा।

सात: - अनर्हताएँ -

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :—

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या
2. प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो, या
3. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या

4. चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में; असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
5. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
6. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
7. परीक्षा संचालन में या साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
8. आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर), जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो ।

चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक अहर्ता एवं जानकारी :—

- (1) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- (2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो—
 - (क) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
 - (ख) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वरूप नहीं पाया जाए।
 - (ग) जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।
 - (घ) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, (परंतु निरहित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।)
- (3) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को मुख्य परीक्षा दिनांक तक नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (4) परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्राविधिक है। अभ्यर्थी को परीक्षा में मूल फोटो परिचय—पत्र भी लाना आवश्यक है। अंतिम शैक्षणिक संस्था प्रमुख द्वारा जारी फोटो परिचय—पत्र भी मान्य किया जा सकेगा।
- (5) पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है।
- (6) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को है।
- (7) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (8) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अहर्ता से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किया जाना अतिआवश्यक है, यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं वह भूलचूक से अपने आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं करता है तो उसे अपात्र घोषित किया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किये जाने एवं चयन सूची में स्थान दिये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा, भले ही अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित क्यों न हो रहा हो।

- (9) आरक्षित प्रवर्ग (अ.जा., अनु.ज.जाति एवं अ.पि.व.) के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 07-26/96/अ-प्र/दिनांक 01.08.1996 एवं क्रमांक एफ 7-2/96/अ-प्र/1 दिनांक 12.03.1997 में दिये गये निर्देशों के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित प्रवर्ग के तहत विचार में ली जावेगी ।
- (10) यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दायित्व प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हों तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें ।

ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :-

आवेदन पत्र वेबसाईट www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये www.mponline.gov.in पर Authorized Kiosk list Link देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:-

आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज

नागरिक सेवाएं

में क्लिक करें इसके बाद MP High Court के Logo पर Click करें तत्पश्चात् Application Services में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए दी हुई link पर click करें।

आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पहले Advertisement को क्लिक कर, दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़लें। इसके उपरान्त ही Online Apply करने के लिए Form को क्लिक करें। इसके उपरान्त आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाइन फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियाँ सही—सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के Link (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी। Hyperlink को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फारमेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरान्त उक्त फारमेट को स्कैन कर .jpg फारमेट में ही सेव करें। अब आवेदक Browse बटन क्लिक करें। इसके उपरान्त जिस डायरेक्टरी में आवेदक ने अपना फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है उस डायरेक्टरी से अपना फोटो एवं हस्ताक्षर सेलेक्ट कर अटैच करें।

आवेदक ऑनलाइन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें इसके उपरान्त Submit

बटन दबायें। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नम्बर प्राप्त होगा। इसके उपरान्त आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये Proceed to Payment बटन दबायेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे।

1— क्रेडिट/डेबिट कार्ड।

2— इंटरनेट बैंकिंग।

3— क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :— आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed to Payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बैंक का पेमेन्ट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरान्त कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी। जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन सम्बन्धी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।

4— इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :— आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेटबैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त Proceed to Payment बटन दबायेगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लाग-इन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक एकाउन्ट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिन्ट अवश्य लें।

5— एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :— आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर सिटिजन सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने सम्बन्धी निर्देश और जानकारियाँ आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी गई समस्त जानकारियाँ फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरान्त आवेदक ऑनलाइन फार्म में भरी गई समस्त जानकारियाँ सही—सही भरी होने के उपरान्त ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन

दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।

- 6— यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है, तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 18/02/2019 (सोमवार) से 25/02/2019 रात्रि 11.59 बजे तक संबंधित त्रुटि को एमोपी0ऑनलाईन द्वारा निर्धारित शुल्क (50 रुपये) जमा कर सुधार सकेंगे। परंतु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा और ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।
- 7— यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।
- 8— इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरान्त अपने नजदीक में स्थापित एमपीआनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्म तिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरान्त कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application में उक्त जानकारियाँ भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरान्त Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से सम्बन्धित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।
- 9— परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुये निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

खण्ड—“स”

परीक्षा की योजना :—यह परीक्षा दो चरणों में होगी :—

1. मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) (150 अंक)
2. साक्षात्कार (20 अंक)

एक:- मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) का दिनांक/समय/सत्र व केन्द्र -

मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन), एम.पी.ऑनलाइन के द्वारा अपने पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से दिनांक— 29/03/2019 (शुक्रवार) को 2.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक आयोजित की जावेगी। परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए अन्य दिनांक को भी भिन्न-भिन्न सत्रों में आयोजित कराई जा सकेगी, तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी तकनीकी खराबी या अन्य कारणों से किसी एक या अधिक केन्द्र/केन्द्रों पर परीक्षा सम्पन्न न होने पर उन केन्द्र/केन्द्रों की परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा उन केन्द्र/केन्द्रों के सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा पुनः ली जा सकेगी और उनके प्रश्न-पत्र भी भिन्न होंगे। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र व जिले तथा परीक्षा सत्र (Shift) के बारे में अंतिम निर्णय एम०पी० ऑनलाईन का परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए होगा तथा इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

नोट: कोई भी आवेदक जो इस विज्ञापन के तहत आवेदन करता है तो यह माना जावेगा कि उसे विज्ञापन की सभी शर्तें मान्य हैं एवं उसे किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है।

दो:- प्रवेश पत्र — प्रवेश पत्र एमपीऑनलाइन द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा, जिसकी सूचना म०प्र०० उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जावेगी। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट एमपीऑनलाइन की वेबसाइट (www.mponline.gov.in) के माध्यम से अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर प्राप्त किया जा सकेगा।

तीन— मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम :-

Main Examination for the post of	Subject	Marks
Assistant Librarian	Library Science	100
	General English	25
	Computer Test	25
	Total	150

चार:- मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) प्रक्रिया :-

- (1) मुख्य परीक्षा हेतु 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर/विकल्प होंगे अभ्यर्थी/परीक्षार्थी प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकेगा अर्थात् किसी प्रश्न को हल न कर सकने की स्थिति में आगे बढ़ सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पिछले पृष्ठ पर वापस जा सकेगा इस परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र हल करने की समय-सीमा 120 मिनट यानि 2 घण्टे की होगी।
- (2) **Mock Test (मॉक टेस्ट)**— आवेदकों के लिये ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु एमपीऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर Mock Test (मॉक टेस्ट) (परीक्षा अभ्यास) की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (3) आवेदक को परीक्षा तिथि पर प्रवेश पत्र के साथ एक फोटो पहचान पत्र (ओरिजिनल) लाना होगा और उसके पहचान के सत्यापन के बाद ही परीक्षा केन्द्र/कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। फोटो पहचान पत्र की फोटोकापी, स्कैन कापी आदि मान्य नहीं होगी।

- (4) प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक-एक कम्प्यूटर दिया जायेगा। परीक्षा शुरू करने के पहले आवेदक को यूजर आई.डी. के स्थान पर अपना एप्लिकेशन नंबर एवं पासवर्ड के स्थान पर जन्मतिथि डालनी होगी।
- (5) इसके पश्चात् आवेदक को स्क्रीन पर एक प्रश्न और उसके चार संभावित उत्तर/विकल्प दिखेंगे। आवेदक इन चारों में से किसी एक विकल्प को चुनकर अपना सही उत्तर सेव(Save) कर सकता है।
- (6) ऑनलाइन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उसका फोटो/विवरण दिखेगा, जिससे भी उसकी पहचान की जांच व पुष्टि वीक्षक द्वारा की जा सकेगी।
- (7) ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत विवरण एमपीऑनलाइन द्वारा अपनी वेबसाइट पर भी दिया जा सकेगा।

पांच: – आवश्यक सूचना :–

- (1) आवेदक को अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक है तथा इसके बाद परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।
- (2) आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित न होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में यदि परीक्षा उसी दिन या अन्य दिन द्वितीय सत्र में होती है तो भी परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- (3) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का केलकुलेटर, मोबाइल, लिस्निंग डिवाईस, रिकार्डिंग डिवाईस, अलार्म वॉच, इलेक्ट्रानिक गैजेट इत्यादि ले जाना प्रतिबंधित है। आवेदक अपने साथ सिर्फ प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र, पेन एवं पेन्सिल ले जा सकेगा।
- (4) परीक्षार्थी परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सम्पूर्ण परीक्षा क्लोज सर्किट टी०वी० (C.C.T.V.) कैमरे की निगरानी में होगी एवं रिकार्डिंग की जावेगी।
- (5) परीक्षार्थियों का बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन परीक्षा केन्द्र पर किया जावेगा।

छै: – अनुचित साधन:–

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (Unfair Means) के अंतर्गत माना जावेगा तथा उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने से विवर्जित कर दिया जाएगा :–

- (1) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क/नकल करना।
- (2) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- (3) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- (4) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना, तांकझाक करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।
- (5) परीक्षा कार्य में संलग्न समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- (6) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारी/अधिकारी को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना, परीक्षा कक्ष/भवन के किसी भी वस्तु, संपत्ति, यंत्र, कम्प्यूटर आदि को किसी तरह क्षति पहुँचाना।

सातः – मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) का मूल्यांकन एवं परिणाम :–

- (1) आरक्षण के प्रावधानों का लाभ अंतिम चयन के समय प्रदान किया जावेगा। मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) का मूल्यांकन कम्प्यूटर आधारित तथा माईनस मार्किंग होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.33 अंक मूल अंकों से काटे जावेंगे। मुख्य परीक्षा के पश्चात् प्रत्येक श्रेणी की मेरिट के आधार पर लगभग 1:3 के अनुपात में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे। समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करते हुए उन्हें साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 55 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग को 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
- (2) प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर जिनका परीक्षाफल तैयार किये जाने हेतु प्रयोग किया जाना आशयित है उसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर मुख्य परीक्षा पश्चात् इस सूचना के साथ प्रदर्शित किया जावेगा कि यदि अभ्यर्थी कोई आपत्ति/स्पष्टीकरण इत्यादि उक्त प्रस्तावित आदर्श उत्तरों के संबंध में देना चाहता है तो वह आवश्यक रूप से उक्त सूचना प्रकाशन के 7 दिनों के अंदर लिखित में प्रिंसीपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) के समक्ष कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अन्य माध्यमों से अपने नाम, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक आदि के विवरण एवं स्त्रोत/दस्तावेज इत्यादि जिस पर आधारित होकर अभ्यर्थी ने आपत्ति/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करेगा। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जायेगा, जिसके आधार पर एम०पी०ऑनलाइन लिमिटेड के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उसे नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।
- (3) ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक/स्कोर/स्कोर कार्ड/मार्कशीट एमपीऑनलाइन की वेबसाईट में प्रकाशित किये जावेंगे जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व जन्मतिथि तथा अपने मोबाइल पर जनरेटेड O.T.P. दर्ज कराना होगी।

आठः साक्षात्कारः—

दस्तावेजों के परीक्षण पश्चात् परीक्षा सेल द्वारा पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची उच्च न्यायालय की वेबसाईट में प्रदर्शित की जावेगी तथा एक तिथि निर्धारित करते हुए पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया जावेगा साक्षात्कार 20 अंकों का होगा।

नौः – अंतिम परिणाम :-

अंतिम परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों (साक्षात्कार में प्राप्त अंकों सहित) श्रेणीवार मेरिट के आधार पर बनाया जावेगा। अंतिम चयन सूची उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी एवं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एम०पी०ऑनलाइन की वेबसाईट में प्रदर्शित किये जावेंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व जन्मतिथि दर्ज कराना होगी।

टीपः— 1. मुख्य परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये न्यूनतम अंक के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. परीक्षा के किसी भी स्तर पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस संबंध में प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

दस: —

ई—मेल—

उपरोक्त पदों की भर्ती के किसी भी स्तर पर ई—मेल द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार्य नहीं किया जावेगा। अतः अभ्यर्थी परीक्षा सेल अथवा उच्च न्यायालय के अन्य अधिकारियों को ई—मेल प्रेषित न करें।

यात्रा व्यय का भुगतान—

परीक्षा हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क न लेते हुए सिर्फ एम०पी० ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क लिया जा रहा है, इस कारण मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले किसी भी आरक्षित श्रेणी (ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी. एवं दिव्यांग) के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी—

सूचना के अधिकार के तहत ऑनलाईन मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिका(रिस्पांस शीट) की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त कर सकता है।

विनिष्टीकरण:-

परीक्षा में प्रयुक्त सभी उत्तर—पुस्तिकाओं/आन्सर शीट्स आवेदन—पत्रो (अंतिम रूप से चयनित व प्रतीक्षारत् अभ्यर्थियों के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।


25.01.19
for रजिस्ट्रार जनरल
